

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 29 / 11 / 2018

विषय:-राज्य योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रु0 7,75,33,56,391/- (रुपये सात अरब पचहत्तर करोड़ तैंतीस लाख छप्पन हजार तीन सौ इक्यानवे) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना के scope of work की तुलना में, एम0सी0आई0 की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर, reduced scope of work अंतर्गत रु0 4,94,94,00,000/- (रुपये चार अरब चौरानवे करोड़ चौरानवे लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्य कराने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 60,00,00,000/- मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 60,00,00,000/- (रुपये साठ करोड़) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0-611(1), दिनांक-07.06.2017 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रु0 7,75,33,56,391/- (रुपये सात अरब पचहत्तर करोड़ तैंतीस लाख छप्पन हजार तीन सौ इक्यानवे) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना के scope of work की तुलना में, एम0सी0आई0 की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर, reduced scope of work अंतर्गत रु0 4,94,94,00,000/- (रुपये चार अरब चौरानवे करोड़ चौरानवे लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्य कराने की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्ययादेश सं0-1338(1) दिनांक-29.11.2018 द्वारा रु0 60,00,00,000/- मात्र के व्यय की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 60,00,00,000/- (रुपये साठ करोड़) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है।

2- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	आवंटनादेश सं0/ऑर्डर नं0 एवं दिनांक
1	2016-17	60,00,00,000/-	सं0-92(1)ब0, दिनांक-10.03.2017
2	2017-18	50,00,00,000/-	सं0-70(1)ब0, दिनांक-11.12.2017
कुल योग-		110,00,00,000/-	

3- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0-326(1) दिनांक-08.05.2013, सह-पठित शुद्धि-पत्र सं0-681(1) दिनांक-11.09.2013 एवं राज्यादेश सं0-611(1) दिनांक-07.06.2017 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

4- यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08, 2199/वि0, दिनांक-24.03.2017 एवं 3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

(C)

5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

6- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।


7- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।

8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-02/2017-73(1) 80


/स्वा0, पटना, दिनांक- 29 / 11 / 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं प0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, बेतिया/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव



बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- 29 / 11 / 2018

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रु0 7,75,33,56,391/- (रुपये सात अरब पचहत्तर करोड़ तैंतीस लाख छप्पन हजार तीन सौ इक्यानवे) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना के scope of work की तुलना में, एम0सी0आई0 की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर, reduced scope of work अंतर्गत रु0 4,94,94,00,000/- (रुपये चार अरब चौरानवे करोड़ चौरानवे लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्य कराने की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 60,00,00,000/- (रुपये साठ करोड़) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0-611(1) दिनांक-07.06.2017 द्वारा राज्य योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल रु0 7,75,33,56,391/- (रुपये सात अरब पचहत्तर करोड़ तैंतीस लाख छप्पन हजार तीन सौ इक्यानवे) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना के scope of work की तुलना में, एम0सी0आई0 की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर, reduced scope of work अंतर्गत रु0 4,94,94,00,000/- (रुपये चार अरब चौरानवे करोड़ चौरानवे लाख) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में कार्य कराने की स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 60,00,00,000/- (रुपये साठ करोड़) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	राशि (रु0 में)	आवंटनादेश सं0/ऑर्डर नं0 एवं दिनांक
1	2016-17	60,00,00,000/-	सं0-92(1)ब0, दिनांक-10.03.2017
2	2017-18	50,00,00,000/-	सं0-70(1)ब0, दिनांक-11.12.2017
कुल योग-		110,00,00,000/-	

3- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं0-326(1) दिनांक-08.05.2013, सह-पठित शुद्धि-पत्र सं0-681(1) दिनांक-11.09.2013 एवं राज्यादेश सं0-611(1) दिनांक-07.06.2017 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा।

4- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक-06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08, 2199/वि0, दिनांक-24.03.2017 एवं 3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

Q

- 5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- 6- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
- 7- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।
- 8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।
- 9- प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-1/विविध-02/2017 के पृष्ठ-37/टि0 पर प्राप्त है।
- 10- प्रस्ताव में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग की सहमति सं0सं0-1/विविध-02/2017 के पृष्ठ-38/टि0 पर प्राप्त है।
- 11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 12- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/विविध-02/2017-1338(1)

/स्वा0, पटना, दिनांक- 28 / 11 / 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, बेतिया/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव